जिन्होने गैर कृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का उपयोग किया है उन्हे बेदखल करने की बजाए उन पर अरबन असेसमेन्ट प्रिमियम व शास्ति आरोपित कर उस भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ बनाये रखे जाने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इस प्रावधान के सन्दर्भ मे प्रकरण को नही देख कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है। शिकायतकर्ता हल्का पटवारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से अपीलान्ट को जिरह का कोई अवसर प्रदना नही किया गया है तथा उक्त आराजी से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय में 48 प्रकरण विचाराधीन थे जिसमे सब का जवाब भी अलग अलग था लेकिन फिर भी उक्त प्रकरणो का अधीनस्थ न्यायालय ने एक साथ मेकेनिकल तरीके से बिना माइण्ड अप्लाई किये ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 11/2004 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2004 को निरस्त करने की कृपा करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की और से वकील श्री अनिल कुमार भार्गव उपस्थित आये। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट निर्धारित तारीख पेशी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय पारित किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम बाय के खसरा नम्बर 1077 किस्म बारानी चतुर्थ पर 12X13 फुट भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की भूमि है एवं कृषि भूमि है। कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये जाने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि पर बिना विधिवत रूपान्तकरण की कार्यवाही किये बिना ही दुकान निर्माण किया गया है। अतः कृषि योग्य भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना दुकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 19.02.2004 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/1/20

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 61/2011/अपील

हरलाल सिंह पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी रींगस हाल निवासी बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 विनोद कुमार खुटेटा पुत्र मुरलीधर जाति महाजन निवासी बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2004 मु.न. 11/2004 अनुवानी सरकार बनाम हरलाल सिंह द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री नानूराम
वकील रेस्पोडेंट श्री अनिल कुमार भार्गव

निर्णय **दिनांकः—27.01.2020**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1077 रकबा 2.18 हैक्टर ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व हल्का पटवारी की शिकायत पर दिनांक 03.02.2004 को तहसीलदार दांतारामगढ ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 1077 रकबा 12 गुणा 30 फिट पर कृषि से अकृषि कर दुकान बना ली। जो धरा 90(ए) का उल्लघंन मान कर नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलान्ट ने नोटिस में नियत दिनांक 13.02.2004 को योग्य अधीनस्थ अदालत में हाजिर होकर अपना जवाब पेश किया व उसी दिन पत्रावली वास्ते निर्णय मे रख कर दिनांक 19.02.2004 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही दिनांक 13.02.2004 को प्रथम पेशी पर ही बिना कोई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही जल्दबाजी मे न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अनदेखी कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के आज्ञापक नियमो की अवहेलना कर बिना खातेदारो को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की शिकायत पर व तत्पश्चात पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर रहते हुए ही अवैध निर्माण का मामला मान लिया जबकि विवादित भूमि खातेदार बनवारी पुत्र राम निवास के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में संविदा के तहत स्थानान्तरित कर दी गयी थी। जिससे अपीलान्ट की हेसियत उक्त भूमि पर अन्तरित की है लेकिन फिर भी योग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी माने बिना ही बेदखली के आदेश पारित कर दिये, जबकि सर्व प्रथम अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की धारा 90(ए)(5) के सब क्लाज डी व उसके परन्तु मे यह व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति